संo संo :– निग / सारा–01–कार्य–05–139 / 2007 3201(S)

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक :– 29/07/2026

श्री राज किशोर प्रसाद, तदेन सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमण्डल, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह के विरूद्ध निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-929 (एस) दिनांक-06.02.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :-

i. मापी पुस्त संख्या 1029, 1056 एवं 1067 का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को नहीं सौपाना, उसे गायब करना,
ii. प्रयोगशाला उपकरणों को गायब करना,
iii. बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किये तथा बिना राजस्व जमा कराये विभिन्न प्रमण्डलों को जांचफल समर्पित कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाना,
iv. दिनांक 01.01.2003 से 06.04.2004 तक की अवधि का मूल निर्गत बही गायब करना,
v. धरेजी इर्स्टन लिमिटेड द्वारा समर्पित विभिन्न परियोजनाओं के गुण नियंत्रण जाँचफल को गायब करना,
vi. कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से गायब रहना।

2. अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना अंचल, पथ निर्माण विभाग, रांची-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-628 दिनांक-05.11.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया |

3. विभागीय कार्यवाही के अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना अंचल, पथ निर्माण विभाग, रांची -सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन को सरकार के स्तर पर समीक्षा के उपरांत अपूर्ण एवं अस्पष्ट पाया गया एवं विभागीय आदेश संख्या- 745 (एस) दिनांक- 29.01.2013 द्वारा संचालन पदाधिकारी के उक्त जांच प्रतिवेदन को अमान्य करते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-929 (एस) दिनांक-06.02.2008 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही की जांच हेतु पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश निर्गत किया गया ।

4. विभागीय आदेश संख्या- 745 (एस) दिनांक- 29.01.2013 द्वारा पुनः संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में गठित आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन के आधार पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त करने के उपरांत समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या- 8717 (S) सह पठित ज्ञापांक- 8718 (S) दिनांक 23.09.2013 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया :-

(i) निन्दन,
(ii) संचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक ।

5. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को विभागीय अधिसूचना संख्या- 6419 (S) दिनांक 28.08.2014 के द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

6. उक्त आदेशों के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय न्यायालय में W.P.(S) No. 6481/2014 दायर किया गया । वाद सं० W.P.(S) No. 6481/2014 में माननीय न्यायलय द्वारा दिनांक 11.04.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः—

"10. In view of the aforesaid discussion, the impugned order as contained in notification no. 8717(S) dated 23.09.2013 (Annexure-5 to the writ petition) issued under the signature of the respondent no. 4 as well as the order as contained in notification no. 6419(S) dated 28.08.2014 (Annexure-7 to the writ petition) issued under the signature of the respondent no. 3 affirming the order passed by the disciplinary authority (respondent no. 4) are hereby quashed.

11. The writ petition is, accordingly, allowed."

7. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग की ओर से LPA दायर किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग, झारखण्ड राँची के माध्यम से विद्धान महाधिवक्ता द्वारा LPA दायर किये जाने का परामर्श प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक- 11.04.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध LPA No. 716/2023 दायर किया गया |

LPA No. 716/2023 State of Jharkhand vrs. Raj Kishor Prasad में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का दिनांक 23.12.2025 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है :-

"37. This Court, in view of the aforesaid, is of the view that in exercise of power conferred under Article 226 of the Constitution of India, a direction is required to be passed for conducting an enquiry against the erring officers who have conducted the enquiry by distracting it in the wrong way.

38. In view of the aforesaid, the Chief Secretary of the State of Jharkhand is directed to conduct an enquiry against the erring officers who have conducted the enquiry.

39. Accordingly, the instant appeal fails and is dismissed.

40. Pending interlocutory applications, if any, also stand disposed of.

41. Let this order be communicated to the Ministry of DoPT, Government of India, New Delhi. "

8. W.P.(S) No. 6481/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2023 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण याचिकाकर्त्ता श्री राजकिशोर प्रसाद द्वारा Cont (Civil) Case No. 623/2024 दायर किया गया |

9. Cont. Case (Civil) No. 623/2024 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का दिनांक 01.05.2026 को पारित आदेश निम्नवत है :-

" 2. Learned counsel for the petitioner submits that though the said L.P.A was dismissed in the month of December 2025 itself, the order dated 11.04.2023 passed by the Writ Court has not yet been complied by the opposite parties.

3. Not complying the order dated 11.04.2023 passed in W.P.(S) No. 6481 of 2014 even after more than four months of dismissal of the L.P.A is viewed seriously by this Court. However, by way of last indulgence, the opposite parties are granted time till 17.06.2026 to fully comply the aforesaid order and file a compliance affidavit, failing which the opposite party no. 2 – the Principal Secretary, Road Construction Department, Government of Jharkhand shall remain physically present before this Court on the next date fixed.

4. Put up this case under the heading "For Orders" on 19.06.2026 "

10. विभाग द्वारा LPA No. 716/2023 State of Jharkhand vrs. Raj Kishor Prasad में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2025 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करने का निर्णय लिया गया है। एतदर्थ विधि विभाग के ज्ञापांक–397 / जे0 दिनांक–24.02.2026 के द्वारा वकालतनामा निर्गत है।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–21.07.2026 के मद सं0–13 के रूप में मंत्रिपरिषद् की प्राप्त स्वीकृति के आलोक में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा LPA No. 716/2023 को dismiss कर दिये जाने के फलस्वरूप एवं माननीय न्यायालय द्वारा Cont. Case (Civil) No. 623/2024 में दिनांक 01.05.2026 को पारित अंतरिम न्यायादेश एवं W.P.(S) No. 6481/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री राज किशोर प्रसाद, तदेन सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमण्डल, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह सम्प्रति सेवानिवृत्त पर दंड अधिरोपण से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0–8717 एस सहपठित ज्ञापांक–8718 एस, दिनांक–23.09.2013 एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0–6419एस, दिनांक–28.08.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर होने वाले SLP के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ विलोपित किया जाता है।

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

(16)

ज्ञापांक :– निग / सारा–01–कार्य–05–139 / 2007 3201(5) दिनांक– 28/07/2006

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– निग / सारा–01–कार्य–05–139 / 2007 3201(5) दिनांक– 28/07/2006

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– निग / सारा–01–कार्य–05–139 / 2007 3201(5) दिनांक– 28/07/2006

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य(विभागीय) मंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची / अधीक्षण अभियंता, गुण नियंत्रण, निदेशालय, झारखण्ड, रांची / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हजारीबाग / गिरिडीह / उपायुक्त, हजारीबाग / गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– निग / सारा–01–कार्य–05–139 / 2007 3201(5) दिनांक– 28/07/2006

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 10 एवं 14, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री राजकिशोर प्रसाद, सहायक अभियंता, पताः–पिता–स्व0 लेखराज दास, ग्रा0–चोरसुआ, पो0–पावापुरी, था0–गिरियाक, जिला–नालंदा, बिहार पिन–803109 / श्री सरफराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, निगरानी प्रशाखा, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।